ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

(কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি সহায়ক সংস্থা)

মহাপ্রবন্ধক (জনশক্তি)-এর কার্যালয়

সাঁকতোড়িয়া, ডাকঘর: ডিসেরগড়, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩৩৩৩

সূত্র নং: ECL/CMD/C-6B/Sectt. (Pers.)/2026/1121 **তারিখ: ১৬/১১/২০২৬**

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারী / শ্রমিকদের জন্য স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প (VRS) - ২০২৬ কার্যকরকরণ।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প ২০২৬-এর বিধান অনুযায়ী, নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীনে কোম্পানির স্থায়ী তালিকায় থাকা ইচ্ছুক ও যোগ্য নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারীদের (শ্রমিকদের) কাছ থেকে স্বেচ্ছাবসরের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

১. আবেদনের সময়সীমা

- **অনলাইনে আবেদন শুরুর তারিখ:** ০১লা ডিসেম্বর ২০২৬
- **অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ:** ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬

২. যোগ্যতার মানদণ্ড

- বর্তমানে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের স্থায়ী তালিকায় থাকা নন-এক্সিকিউটিভ কর্মচারী (শ্রমিক) হতে হবে।
- আবেদনের তারিখে কর্মচারীর বয়স ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর পূর্ণ হতে হবে।

৩. নিষিদ্ধ বিভাগসমূহ

নিম্নলিখিত বিভাগের কর্মচারীরা এই প্রকল্পের অধীনে আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না:

১. যে সকল কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত এবং/অথবা ভিজিল্যান্স (নজরদারি) সংক্রান্ত কার্যক্রম বিচারাধীন রয়েছে।

২. যে সকল কর্মচারী বন্ডেড সার্ভিস / ন্যূনতম চাকরির বাধ্যবাধকতার অধীনে কর্মরত আছেন।

৩. যে সকল কর্মচারীর পরিষেবা সাংগঠনিক বা পরিচালনগত স্বার্থে অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ বলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে।

৪. খনি তদারকি কর্মী (মাইনিং সুপারভাইজরি পার্সোনেল) এবং জরিপকারী (সার্ভেয়ার)।

৫. হিসাবরক্ষক (অ্যাকাউন্ট্যান্ট)।

৬. ফার্মাসিস্ট।

৭. বৈদ্যুতিক তত্ত্বাবধায়ক (ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার)।

৮. নার্সিং স্টাফ।

৯. নিরাপত্তা পরিদর্শক (সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর)।

৪. প্রদেয় প্রধান সুবিধাসমূহ (DPE নির্দেশিকা অনুযায়ী)

- **এক্স-গ্রাশিয়া ক্ষতিপূরণ:** এককালীন অর্থ প্রদান করা হবে, যা প্রতিটি সম্পূর্ণ চাকরির বছরের জন্য ৩৫ দিনের বেতন (মূল বেতন + মহার্ঘ ভাতা বা DA) এবং স্বাভাবিক অবসরের বয়স (৬০ বছর) পর্যন্ত অবশিষ্ট প্রতিটি চাকরির বছরের জন্য ২৫ দিনের বেতন অথবা অবশিষ্ট চাকরির দিনের বেতনের মধ্যে যেটি কম, তার ভিত্তিতে গণনা করা হবে। (বেতন ৩০ দিনের মাসের ভিত্তিতে গণনা করা হবে)। বেতন সংশোধনের কারণে কোনো বকেয়া বেতন প্রদান করা হবে না।
- **অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা:** প্রভিডেন্ট ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ, গ্র্যাচুইটি, অর্জিত ছুটির নগদায়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানির কোয়ার্টার খালি করা সাপেক্ষে সেটলিং অ্যালাউন্স (NCWA অনুযায়ী), পেনশন সংক্রান্ত সুবিধা (যেখানে প্রযোজ্য), অবসর-পরবর্তী চিকিৎসা সুবিধা এবং কোম্পানির নিয়ম / NCWA বিধান অনুযায়ী অন্যান্য প্রাপ্য বকেয়া।
- **আয়কর দায়:** সময় সময় সংশোধিত আয়কর আইন, ১৯৬১-এর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৫. আবেদন জমা দেওয়ার পদ্ধতি

অনলাইনে জমা: ইচ্ছুক ও যোগ্য কর্মচারীদের অবশ্যই ০১.১২.২০২৬ থেকে ৩১.১২.২০২৬-এর মধ্যে নির্ধারিত ইসিএল ভিআরএস পোর্টালের (ECL VRS Portal) মাধ্যমে অনলাইনে তাদের আবেদন জমা দিতে হবে।

৬. সাধারণ শর্তাবলী

- আবেদন জমা দিলেই কোনো কর্মচারীর স্বেচ্ছাবসর দাবি করার অধিকার জন্মায় না। 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে আবেদন গ্রহণ করার একচ্ছত্র অধিকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (পরিচালক (মানবসম্পদ), ইসিএল) উপর ন্যস্ত থাকবে।
- একবার গৃহীত হলে, কর্মচারীর এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে গণ্য হবে।
- ইসিএল স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প ২০২৬-এর অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী এবং পরিচালনগত নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।
- কর্তৃপক্ষ যেকোনো পর্যায়ে এই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

16/11/2026

মহাপ্রবন্ধক (শিল্প সম্পর্ক)
ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড

অনুলিপি প্রেরণ:

১. সভাপতি-সহ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (CMD), ইসিএল - সদয় অবগতির জন্য।

২. পরিচালক (অর্থ) / পরিচালক (মানবসম্পদ) / পরিচালক (কারিগরি) পরিকল্পনা ও প্রকল্প / পরিচালক (কারিগরি) পরিচালন, ইসিএল - সদয় অবগতির জন্য।

৩. মুখ্য সতর্কতা আধিকারিক (CVO), ইসিএল - সদয় অবগতির জন্য।

৪. সমস্ত ক্ষেত্রীয় মহাপ্রবন্ধক / প্রতিষ্ঠান ও ওয়ার্কশপের বিভাগীয় প্রধানগণ, ইসিএল - সংশ্লিষ্ট জেসিসি (JCC) সদস্যদের অনুলিপিসহ সমস্ত ইউনিট/কোলিয়ারিতে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাপকভাবে প্রচার করার অনুরোধসহ।

৫. মহাপ্রবন্ধক (সিস্টেমস), ইসিএল সদর দপ্তর - ০১.১২.২০২৬ থেকে ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন ভিআরএস (VRS) পোর্টালটি সক্রিয় করার এবং ইসিএল ওয়েবসাইটে এই বিজ্ঞপ্তিটি আপলোড করার অনুরোধসহ।

৬. সমস্ত ক্ষেত্রীয় মানবসম্পদ প্রবন্ধক, ইসিএল।

৭. সমস্ত ক্ষেত্র / কোলিয়ারি / প্রতিষ্ঠান / ইসিএল সদর দপ্তরের নোটিশ বোর্ড।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: *এই বাংলা অনুবাদে কোনো অসঙ্গতি বা বিরোধ দেখা দিলে মূল ইংরেজি বিজ্ঞপ্তিটিই চূড়ান্ত ও প্রাধান্য পাবে।*

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

महाप्रबंधक (जनशक्ति) का कार्यालय

सांकतोड़िया, डाकघर: डिसेरगढ़, जिला: पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल - 713333

संदर्भ सं.: ECL/CMD/C-6B/Sectt. (Pers.)/2026/1121 **दिनांक: 16/11/2026**

अधिसूचना

विषय: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गैर-अधिकारी कर्मचारियों / कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) - 2026 का कार्यान्वयन।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2026 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन कंपनी की स्थायी नामावली (परमानेंट रोल) पर कार्यरत इच्छुक एवं पात्र गैर-अधिकारी कर्मचारियों (कामगारों) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

1. आवेदन की अवधि

- **ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि:** 01 दिसंबर 2026
- **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि:** 31 दिसंबर 2026

2. पात्रता मानदंड

- वर्तमान में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थायी नामावली (परमानेंट रोल) पर कार्यरत गैर-अधिकारी कर्मचारी (कामगार)।
- ऐसे कर्मचारी जिन्होंने आवेदन की तिथि तक 45 (पैंतालीस) वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

3. प्रतिबंधित श्रेणियां

निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे:

1. ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और/या सतर्कता (विजिलेंस) संबंधी कार्यवाही लंबित है।
2. ऐसे कर्मचारी जो बॉन्डेड सेवा / न्यूनतम सेवा दायित्व के अधीन कार्यरत हैं।
3. ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं संगठनात्मक या परिचालन हित में आवश्यक या महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।
4. खनन पर्यवेक्षी कार्मिक (माइनिंग सुपरवाइजरी पर्सनेल) एवं सर्वेक्षक (सर्वेयर)।
5. लेखाकार (अकाउंटेंट)।
6. फार्मासिस्ट।
7. विद्युत पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर)।
8. नर्सिंग स्टाफ।
9. सुरक्षा निरीक्षक (सिक्योरिटी इंस्पेक्टर)।

4. देय प्रमुख लाभ (DPE दिशानिर्देशों के अनुसार)

- **अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) मुआवजा:** एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) और सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि (60 वर्ष की आयु) तक शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए·25 दिनों के वेतन अथवा शेष सेवा के दिनों के वेतन, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। (वेतन की गणना 30 दिनों के महीने के आधार पर की जाएगी)। वेतन संशोधन के कारण कोई बकाया वेतन देय नहीं होगा।
- **अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:** भविष्य निधि (PF) संचय, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नकदीकरण, यदि लागू हो तो कंपनी के आवास खाली करने के अधीन सेटलिंग भत्ता (NCWA के अनुसार), पेंशन लाभ (जहां लागू हो), सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ तथा कंपनी के नियमों / NCWA प्रावधानों के अनुसार अन्य देय बकाया।
- **आयकर देयता:** समय-समय पर यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

5. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक एवं पात्र कर्मचारियों को 01.12.2026 से 31.12.2026 के बीच निर्धारित ईसीएल वीआरएस पोर्टल (ECL VRS Portal) के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे।

6. सामान्य शर्तें

- आवेदन जमा करने से किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। स्वीकृति 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सक्षम प्राधिकारी (निदेशक (मानव संसाधन), ईसीएल) के पूर्ण विवेक पर निर्भर करेगी।
- एक बार स्वीकृत हो जाने पर, कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
- ईसीएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2026 के अन्य सभी नियम, शर्तें एवं परिचालन दिशानिर्देश लागू होंगे।
- प्रबंधन के पास किसी भी स्तर पर इस योजना को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

16.11.2026

महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

वितरण:

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD), ईसीएल - सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक (वित्त) / निदेशक (मानव संसाधन) / निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना / निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल - सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO), ईसीएल - सादर सूचनार्थ।
4. सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक / प्रतिष्ठानों एवं कार्यशालाओं के विभागाध्यक्ष, ईसीएल - इस अनुरोध के साथ कि संबंधित जेसीसी (JCC) सदस्यों को प्रतिलिपि भेजते हुए सभी इकाइयों/कोलियरियों में इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
5. महाप्रबंधक (सिस्टम्स), ईसीएल मुख्यालय - इस अनुरोध के साथ कि 01.12.2026 से 31.12.2026 तक ऑनलाइन वीआरएस (VRS) पोर्टल को सक्रिय करें और इस अधिसूचना को ईसीएल की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. सभी क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रबंधक, ईसीएल।
7. सभी क्षेत्रों / कोलियरियों / प्रतिष्ठानों / ईसीएल मुख्यालय के सूचना पट्ट।

विशेष टिप्पणी: *इस हिंदी अनुवाद में किसी भी प्रकार का विरोधाभास या विसंगति होने की स्थिति में मूल अंग्रेजी अधिसूचना ही मान्य एवं प्रभावी होगी।*

EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Office of the General Manager (Manpower)

Sanctoria, P.O. Dishergarh, Dist. Paschim Bardhaman, West Bengal – 713333

Ref. No.: ECL/CMD/C-6B/Sectt.(Pers.)/2026/1121 **Date:** 16/11/ 2026

NOTIFICATION

Subject: Implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) – 2026 for Non-Executive Employees / Workmen of Eastern Coalfields Limited.

In pursuance of the approval of the Competent Authority and in accordance with the provisions of the **Eastern Coalfields Limited Voluntary Retirement Scheme – 2026**, applications are hereby invited from willing and eligible Non-Executive Employees (Workmen) on the permanent roll of the Company for Voluntary Retirement under the following terms and conditions:

1. Application Window

- **Opening Date for Online Application:** 01st December 2026
- **Closing Date for Online Application:** 31st December 2026

2. Eligibility Criteria

- Non-Executive Employees (Workmen) currently on the permanent roll of Eastern Coalfields Limited.
- Employees who have attained the age of **45 (forty-five) years**, to be reckoned on the date of application.

3. Restricted Categories

The following categories of employees shall **not** be eligible to apply under this Scheme:

1. Employees against whom disciplinary and/or vigilance proceedings are pending.
2. Employees serving under bonded service / minimum service obligation.
3. Employees whose services are considered essential or critical in organizational or operational interest, as determined by the Competent Authority.
4. Mining Supervisory Personnel and Surveyor.
5. Accountants.
6. Pharmacist.
7. Electrical Supervisor.
8. Nursing Staff.
9. Security Inspector.

4. Salient Benefits Admissible (As per DPE Guidelines)

- **Ex-Gratia Compensation:** Paid in lump sum, calculated @ **35 days' wages** (Basic Pay + DA) for each completed year of service **PLUS 25 days' wages** for each year of remaining service up to the normal date of superannuation (60 years of age)/ balance days of services left whichever is less. *(Wages reckoned on a 30-day month basis). No arrears of wages will be payable due to wage revision.*
- **Other Terminal Benefits:** Provident Fund accumulation, Gratuity, Encashment of Earned Leave, Settling Allowance subject to vacation of company's quarters if applicable (as per

NCWA), Pensionary benefits (wherever applicable), Post-Retirement Medical Benefit, and other admissible dues as per Company rules / NCWA provisions.

- **Tax Liability:** Governed by the provisions of the Income-tax Act, 1961, as amended from time to time.

5. Procedure for Submission of Application

10. **Online Submission:** Willing and eligible employees must submit their applications **online** through the designated ECL VRS Portal between **01.12.2026 and 31.12.2026.**

6. General Conditions

- Submission of an application does not confer any right on an employee to claim voluntary retirement. Acceptance is at the sole discretion of the Competent Authority (Director (HR), ECL) on first cum first serve basis.
- Once accepted, the option exercised by the employee shall be final and irrevocable.
- All other terms, conditions, and operational guidelines of the *ECL Voluntary Retirement Scheme – 2026* shall apply.
- Management reserve right to withdraw this at any stage.

General Manager (IR)
Eastern Coalfields Limited

Distribution:

1. CMD, ECL – *for kind information.*
2. Director (Finance) / Director (HR) / Director (Technical) P&P/ Director (Technical) OP, ECL – *for kind information.*
3. CVO, ECL – *for kind information.*
4. All Area General Managers / HoDs of Establishments & Workshops, ECL – *with a request to give wide publicity to this notification across all units/collieries with copy to respective JCC Members*
5. GM (Systems), ECL-HQ – *with a request to activate the online VRS portal from 01.12.2026 to 31.12.2026 and upload this notification on the ECL website.*
6. All Area HR Managers, ECL.
7. Notice Boards of all Areas / Collieries / Establishments / ECL HQ.